महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :– रू0वि0 / सम्ब. / 2018 / 8158-62 दिनांकः– 01.04.2018

सेवा में,

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,

विषयः– कार्यपरिषद द्वारा प्रति विषय विशेषज्ञ नामित किये जाने हेतु शुल्क के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में अवगत कराना है कि वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.03.2018 के प्रस्ताव संख्या 01 द्वारा महाद्यिालयों द्वारा शिक्षक / प्राचार्य चयन हेतु विषय विशेषज्ञ मांगे जाने के संबंध में प्रति विषय विशेषज्ञ रू0 5000 /– शुल्क जमा कराये जाने की संस्तुति का अनुमोदन कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.03.2018 के संकल्प संख्या 2.01 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

अतः कार्यपरिषद द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में ऐसे समस्त महाविद्यालय जिनमें स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित हैं,को निदेशित किया जाता है कि अपने महाविद्यालय में शिक्षकों के चयन हेतु नामित कराये जाने वाले विषय विशेषज्ञों की संख्या का निर्धारण सम्बद्धता विभाग से कराकर प्रति विषय विशेषज्ञ रू0 5000 /– विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। तद्ोपरानत ही विषय विशेषज्ञ नामित किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि–

1–वित्तअधिकारी, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
2–उपकुलसचिव–सम्बद्धता, को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु।
3–निजी सचिव कुलपति कार्यालय को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
4- प्रभारी वेबसाइट, कृपया वेबसाइट पर अपलोड करें।

कुलसचिव